

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.20(6)न्याय/2021


जयपुर, दिनांक 02 AUG 2022

:: आदेश ::

नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 3 सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला अलवर में अलवर शहर क्षेत्र के लिए श्री नरेश सौगत अधिवक्ता को एतद्वारा नोटेरी पब्लिक नियुक्त करती है।


उक्त नियुक्ति निर्धारित शुल्क रुपये 2,000/- (अक्षरे दो हजार रुपये मात्र) राजकोष में जमा कराने, बार कॉउन्सिल तथा बार एसोसिएशन का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्र (Certificate of Practice) की वैधता जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

आज्ञा से,


(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सोलीसिटर जनरल, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, अलवर।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
7. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, अलवर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
11. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अलवर।
13. श्री नरेश सौगत निवासी प्लॉट न. 38, सिद्धार्थ विहार, 60 फुट रोड, अलवर जिला अलवर (राज.) 301001 को प्रेषित कर लेख है कि वह चालू वित्तीय वर्ष के लेखा मद 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 01-न्याय प्रशासन, 501-सेवाएँ एवं सेवा, 01- उच्च न्यायालय, 00- फीस के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क राशि 2,000/- रुपये जमा करवाकर चालान की प्रति इस विभाग को भिजवायें। साथ ही यह भी लेख है कि राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक संघ (बार एसोसिएशन) के प्रमाण पत्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर पेश करें :-
 - i. वह राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर में अधिवक्ता के रूप में एनरोल्ड है।
 - ii. उनके विरुद्ध कोई आचरण संबंधी जांच/शिकायत लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 - iii. वह आवेदित क्षेत्र में निवास एवं स्थानीय न्यायालयों में प्रेक्टिस करते हैं तथा नोटेरी के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु पात्र है।उक्त चालान, राजस्थान बार कॉउन्सिल, जोधपुर तथा संबंधित अभिभाषक संघ के प्रमाण पत्र इस विभाग में प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। आपके विभाग में प्रस्तुत किये गये मैमोरियल (आवेदन पत्र) में अंकित तथ्यों के गलत पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
14. प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव